रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937
No. 68] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

का.आ. 74(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले के खानापुर तालुका में महादायी नदी के जल आवाह क्षेत्र में 190.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी कर्नाटक में दंडेली वन्य जीव अभयारण्य और गोवा में मदेई और भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य के साथ साझी सीमा है। इस अभयारण्य को उत्कृष्ट प्राणी और वनस्पति विविधता के आरक्षित वन्य क्षेत्र से निकाल कर बनाया गया है।

और, पश्चिमी घाट, अपनी अद्वितीय अवस्थिति के कारण, प्रायद्वीप में जैव-विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके द्वारा पारिस्थितिकी बहुतायत संभरण करती है, उनकी समृद्ध जैव विविधता और संवेदनशील भू-आकृति विशिष्टता से जोड़ती है। भीमगढ़ क्षेत्र एक व्यापक जैव विविधता का क्षेत्र है और निकटवर्ती संरक्षित क्षेत्रों के साथ बाघ और अन्य वन्य-जीवों के लिए गलियारा प्रदान करता है।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र अर्ध सदाबहार और खड़ी ढलान के साथ सदाबहार घने जंगलों के पश्चिमी घाट का कोर ज़ोन है। इस क्षेत्र में प्रचुर जीवजंतु और वनस्पतीय विविधता है। इस क्षेत्र में बहुत से वन्यजीवों का महत्व है।

यह संकटापन्न और स्थानिक रॉउटन फ्री टेल्ड चमगादड़ (ओटोमोपसरॉउटनी) और थाइयोबल्डस् टॉम्ब चमगादड़ (टेफोजुसथेओबल्डी) के लिए आवास केंद्र है। बारापेडे गुफाएँ रॉउटन फ्री टेल्ड चमगादड़ के लिए बसेरा और प्रजनन स्थान के लिए ही जानी जाती है। वनों में सुंदर वन स्थली की पच्चीकारी और घासभूमि के साथ बाघ, तेंदुआ, भारतीय गौर (बीसनस्) रीछ, सांभर, मुंजक, चीतल, जंगली कुत्ता, किंग कोबरा के लिए और अन्य स्तनधारियों और सरीसृपों के वैविध्य का आवास है।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का यह क्षेत्र महादयी, मालाप्रभा, पंडरी, मार्कंडेय, तील्लारी, बेलनदी और अन्य नदियों की धारा संख्या से अलग कई महत्वपूर्ण नदियों के लिए उद्गम और नदी घाटी जलग्रहण का स्थान है। क्षेत्र में इस स्थान के लिए स्थानिक विस्तृत जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का संभरण है जिसमें गुफाओं की बहुत सी कई भू-आकृति वैज्ञानिक चूना पत्थर संरचनाएँ, शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा, अभयारण्य ऐतिहासिक भीमगढ़ किला खंडहर से घिरा हुआ है, जो संरक्षित के लिए ज़रूरी है।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य औषधीय पौधों का एक समृद्ध भंडार है। अमागाँव के अर्ध सदाबहार वनों में एक ऐसे क्षेत्र 2010-11 के दौरान औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (एम.पी.सी.ए.) के लिए पहचाना गया है। अभिलिखित की गई प्रजातियों में से, 82 प्रतिशत पौधे औषधीय मूल्य के पाए गए हैं। अभिलिखित किए गए पौधों में से लगभग 47 प्रतिशत वृक्षों की प्रजातियाँ हैं, जिसमें 28 % झाड़ी और 18% जड़ी-बूटी है। इस क्षेत्र में अनकीसट्रोक्लाडुसेयनीअनस, डियोसइपरोस्पेनीकुलाटा, इयोनयमस इंडिकस, माइरिसटिकाअरबोरिया आदि कई स्थानिक पौधों की प्रजातियों का आवास है; कई अभिलिखित औषधीय पौधे जैसे अरीसटोलोचीअटागाला, डियोस्पइपरोमोनटाना, इमबलीका-आँफिसीनलीस, गरकीनीअइंडिका, नोथापोडयटेस्नीम्मोनीआना आदि के साथ उच्च औषधीय और आर्थिक मूल्य है।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की बहुत अच्छी जीवसंख्या है जिसमें विशाल भारतीय धनेश सम्मिलित है और अंगारक, खंजन, कठफोड़वा, कौडिल्ला, चील, बगुला, शकरखोरा, उल्लू और पंडुक की विविधता है। ग्रे जंगल मुरगा, जंगल मयना, महोख, परलोक मक्खीमार, मालाबार अंगारक आदि भी इस क्षेत्र में सामान्यतः दिखाई देते है।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 4.83 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 4.83 किलोमीटर के विस्तार तक 308.22 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** पर दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 14 ग्रामों की सूची उनके मुख्य बिंदुओं के समन्वयक सहित **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) मुख्य पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के साथ अभयारण्य की सीमा पर मुख्य अवस्थानों (जीपीएस बिन्दुओं) को **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिसूचना में दिए गए उपदर्शों का अनुपालन करते हुए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी।

(4) आचंलिक महायोजना उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) शहरी विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिक ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
(ix) सिंचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 11, 17, 23, 29 और 32 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;
(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 5 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** -(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे :

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव-निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय यातायात -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणियां**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बने रहेंगे। परंतु यह भी कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समाप्ति अवधि पर नहीं किया जाएगा।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	प्लास्टिक के बैगों, लैमिनेटस और टैट्रा पैकों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित। प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिनेटस और टैट्रा पैकों के निपटान को कठोरता से विनियमित और मानीटर किया जाएगा।

(11)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना के सिवाए :- परंतु 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा। एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण और अन्य संनिर्माण क्रियाकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(13)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
(14)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(15)	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(i) भूमिगत केबल डालने का संवर्धन (ii) 11केवी तक घरेलू प्रयोजन के लिए वैद्युत लाइनें केवल भूमिगत डाली जांएगी; (iii) 11 केवी से अधिक की किसी पारेषण लाइन के लिए दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु को भूमि से सुरक्षित दूरी पर होना चाहिए।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	रेलवे, रोपवे, भूमिगत पाइपलाइन और नहरें आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, कर्नाटक राज्य के भीतर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

i)	प्रादेशिक आयुक्त, मैसूर	अध्यक्ष
ii)	माननीय सदस्य, विधान सभा, खानापुर निर्वाचन क्षेत्र, बेलागावी जिला	सदस्य
iii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
iv)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
v)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य

vi)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य
vii)	प्रादेशिक अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , मैसूर	सदस्य
viii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, बेलागावी	सदस्य
ix)	उप वन संरक्षक, बेलागावी प्रभाग,	सदस्य-सचिव

***(**अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन यदि अपेक्षित हो जिसमें कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष से प्राप्त अनुमति भी है, प्राप्त करते हुए कर्नाटक सरकार के अध्यधीन **)**

6. निर्देश निबंधन

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/158/2015-ईएसजैड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर: पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पाखाडग्राम के उ 15.67703 पू 74.18881 से आरंभ होकर और उत्तर-पूर्व दिशा तक की ओर यह नहर के जी. पी. एस. बिंदु उ 15.681171 पू 74.191998 पहुँचती है और इसके अतिरिक्त रेखा नहर के साथ जी.पी.एस. बिंदु उ 15.687318 पू 74.199862 से होते हुए नहर की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त नहर के साथ दोबारा यह जो जी.पी.एस. बिंदु उ 15.692648 पू 74.21248 के साथ पारवाड और कनकुम्बी ग्राम के सामान्य बिंदु पर पहुँचती है । इसके बाद रेखा सर्वे सं. 14, 12 तक के साथ पूर्व की ओर जाती है , यह द्वि-जंक्शन बिंदु के सर्वे सं. 12 और 10 के जी.पी.एस. बिंदु पहुँचती है । इसके अतिरिक्त, रेखा सर्वे सं. 40, 39 तक के साथ पूर्व की ओर, यह सर्वे सं. 41 और 42 के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त सर्वे सं. 48 के साथ दोबारा यह मालाप्रभा नदी पहुँचकर और इसके अतिरिक्त यह जी.पी.एस. बिंदु उ 15.694304, पू 74.245476 पहुँचती है। इसके बाद रेखा कनकुम्बी ग्रान सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है, यह जी.पी.एस बिंदु उ 15.674364, पू 74.240066 पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा जी.पी.एस बिंदु उ 15.672221, पू 74.250709 और उ 15.677895, पू 74.271462 से होते हुए चिकाले ग्राम सीमा के साथ पूर्व दिशा की ओर तक यह चीकाले और गावासे ग्राम के सामान्य बिंदु पर पहुँचती है। इसके बाद रेखा जी.पी.एस बिंदु उ 15.682663, पू 74.296043 से होते हुए गावासे ग्राम सीमा के साथ दोबारा, यह जी.पी.एस बिंदु उ 15.682164, पू 74.316139 के साथ गावासे और चापोली ग्राम के सामान्य बिंदु पर पहुँचती है । इसके अतिरिक्त, सीमा जी.पी.एस बिंदु उ 15.674062, पू 74.347031 और उ 15.669905, पू 74.364281 से होते हुए चापोली ग्राम के साथ जाती है और इसके बाद रेखा ग्रान सीमा के साथ जाती है, यह जी.पी.एस बिंदु उ 15.665523, पू 74.367722 के साथ चापोली ग्रान के बिंदु पर पहुँचती है ।

पूर्व: बिंदु के ऊपर से, रेखा जी.पी.एस बिंदु उ 15.647439, पू 74.365517 से होते हुए चापोली ग्राम सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है यह जी.पी.एस बिंदु उ 15.640018, पू 74.366974 के साथ चापोली और कबनाल्ली ग्राम के सामान्य बिंदु पर पहुँचती है । इसके बाद रेखा जी.पी.एस बिंदु उ 15.642164, पू 74.384491, उ 15.645081, पू 74.392128, उ 15.6383, पू 74.406151& उ 15.632575, पू 74.418365 से होते हुए कबनाल्ली ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ जाती है यह कबनल्ली और नेरसे ग्रान के सामान्य बिंदु पर पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा जी.पी.एस बिंदु उ 15.612623, पू 74.432144, उ 15.619783, पू 74.449646 और उ 15.594322, पू 74.455765

से होते हुए नेरसे ग्राम की ओर उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा के साथ जाती है, यह जी.पी.एस बिंदु उ 15.581252, पू 74.42984 के सीथ नेरसे और शीरोली ग्रामों के सामान्य बिंदु पर पहुँचती है। इसके बाद रेखा शीरोली ग्राम सीमा के पूर्वी भाग के साथ दोबारा, यह जी.पी.एस बिंदु उ 15.563643, पू 74.446693 के साथ शीरोली और डोनगरगाँव ग्राम के सामान्य बिंदु पर पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, सीमा रेखा जी.पी.एस बिंदु उ 15.555624, पू 74.458893, उ 15.535541, पू 74.457306 और उ 15.520906, पू 74.445152 से होते हुए डोनगरगाँव ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ यह डोनगरगाँव और वरकाडपाटे ग्राम के सामान्य बिंदु की ओर जाती है । इस बिंदु से, रेखा जी.पी.एस बिंदु उ 15.491383, पू 74.454605, उ 15.464843, पू 74.456757, उ 15.458723, पू 74.456642 से होते हुए वरकाडपाटे ग्राम की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के साथ जाती है ।

दक्षिण: बिंदु के ऊपर से, सीमा जी.पी.एस बिंदु उ 15.453817, पू 74.446925, उ 15.45925, पू 74.428524, उ 15.472439, पू 74.4063940& उ 15.48274, पू 74.387611 से होते हुए यह भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य सीमा तक पहुँचती है ।

पश्चिम: बिंदु के ऊपर से, सीमा भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और डानडेली वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा से होते हुए यह गोवा और कर्नाटक राज्य की अंतर-राज्य सीमा तक पहुँचती है। इसके बाद सभी अंतर-राज्य सीमा के साथ जाती है, यह आंरभिक बिंदु तक पहुँचती है ।

उपाबंध–II

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	तालुक	अक्षांश	देशांतर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
1	परवाद	खानपुर	15.676273	74.211537	1415.21	आंशिक ग्राम
2	कनकुम्बी	खानपुर	15.689122	74.231167	997.04	आंशिक ग्राम
3	चिकाले	खानपुर	15.664852	74.260792	2275	पूर्ण ग्राम
4	गवासे	खानपुर	15.664138	74.298982	1038.69	पूर्ण ग्राम
5	चपोली	खानपुर	15.664852	74.331105	2984.75	पूर्ण ग्राम
6	अमगाँव	खानपुर	15.646649	74.306477	11.44	आंशिक ग्राम
7	गवाली	खानपुर	15.620133	74.335207	222.69	आंशिक ग्राम
8	पसटोली	खानपुर	15.615685	74.365039	49.66	आंशिक ग्राम
9	कबानाल्ली	खानपुर	15.63073	74.381823	1632.54	पूर्ण ग्राम
10	कोंगला	खानपुर	15.593611	74.393601	1235.93	पूर्ण ग्राम
11	नेरसी	खानपुर	15.599678	74.419656	1968.43	पूर्ण ग्राम
12	शिरोली	खानपुर	15.564343	74.430007	929.58	पूर्ण ग्राम
13	दोंगरगाँव	खानपुर	15.533291	74.438216	2086.9	पूर्ण ग्राम
14	वरकादपाटे	खानपुर	15.495672	74.430364	2910.97	पूर्ण ग्राम
			कुल		**19758.83**	

ग्रामों में मुख्यतः कृषि और उद्यान कृषि फसल के अंतर्गत मानव और मवेशी निवास इकाई, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, कड़क के क्षेत्रीय भूमि के भूमि उपयोग का प्रतिरुप ।

उपाबंध-III

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अंक्षाश और देशांतर तथा जीपीएस समन्वयकों सहित मानचित्र

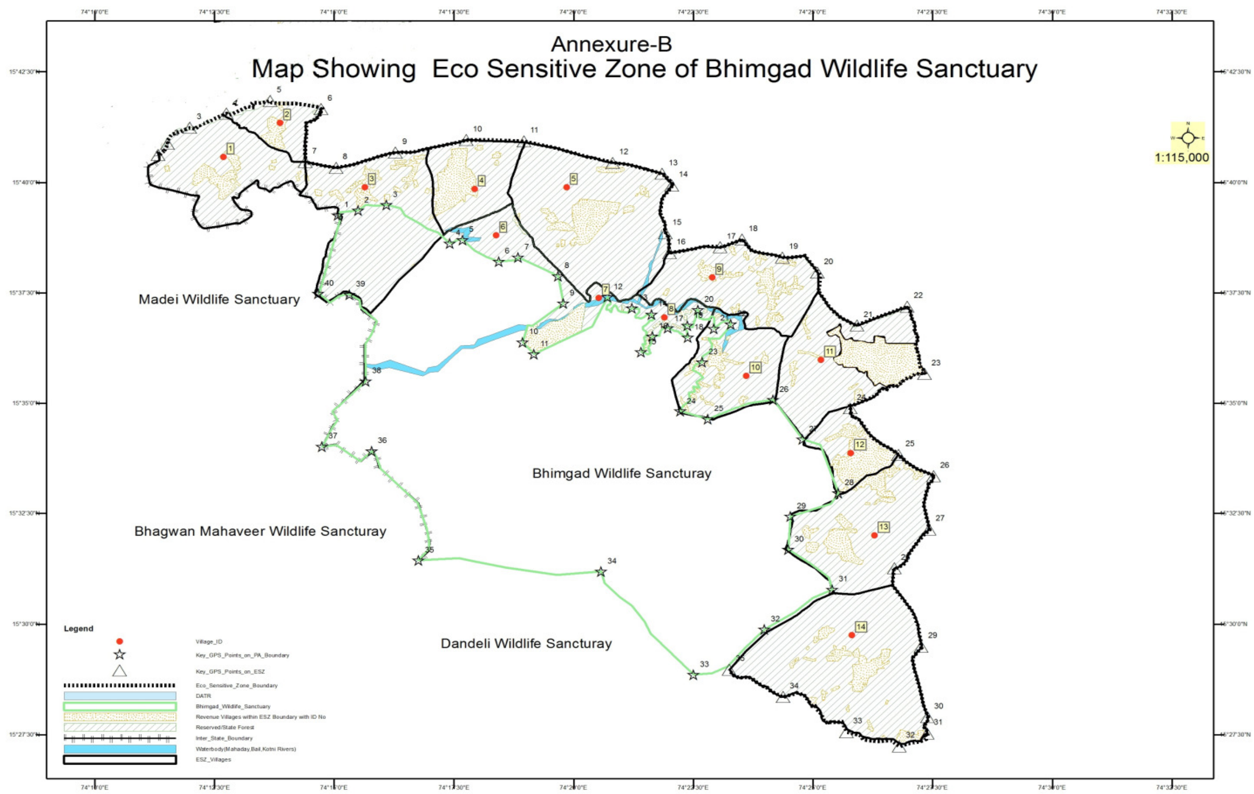

उपाबंध-IV

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर मुख्य अवस्थानों की स्थिति (भू मंडलीय स्थिति प्रणाली)

क्र.सं.	अक्षांश (डिग्री दशमलव)	देशांतर (डिग्री दशमलव)
1	15.654311,	74.25131
2	15.656105,	74.25837
3	15.658205,	74.26827
4	15.643705,	74.29027
5	15.645012,	74.29479
6	15.636831,	74.30734
7	15.638376,	74.31414
8	15.631319,	74.32802
9	15.621049,	74.32989
10	15.606377,	74.31563
11	15.601858,	74.31968
12	15.623389,	74.34517
13	15.619234,	74.35382

14 15	15.616902, 15.602615,	74.36056 74.35687
16	15.60855,	74.36086
17	15.611786,	74.36624
18	15.608126,	74.37324
19	15.612578,	74.37311
20	15.618555,	74.3768
21	15.611505,	74.38227
22	15.613205,	74.38817
23	15.598805,	74.37827
24	15.580141,	74.37055
25	15.577219,	74.3802
26	15.584605,	74.40287
27	15.569505,	74.41317
28	15.549305,	74.42567
29	15.540505,	74.40897
30	15.528005,	74.40817
31	15.512968,	74.4236
32	15.497921,	74.39986
33	15.480846,	74.37525
34	15.51973,	74.34297
35	15.523913,	74.27941
36	15.565089,	74.26307
37	15.566814,	74.24574
38	15.591687,	74.261
39	15.624336,	74.25539
40	15.624698,	74.24448

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य स्थानों की स्थिति (भू- मंडलीय स्थिति प्रणाली)

क्र.सं.	**अक्षांश (डिग्री दशमलव)**	**देशांतर (डिग्री दशमलव)**
1	15.67703	74.18881
2	15.681171,	74.192
3	15.687318,	74.19986
4	15.692648,	74.21248
5	15.697408,	74.22777
6	15.694304,	74.24548

7 8	15.674364, 15.672221,	74.24007 74.25071
9	15.677895,	74.27146
10	15.682663,	74.29604
11	15.682164,	74.31614
12	15.674062,	74.34703
13	15.669905,	74.36428
14	15.665523,	74.36772
15	15.647439,	74.36552
16	15.640018,	74.36697
17	15.642164,	74.38449
18	15.645081,	74.39213
19	15.6383,	74.40615
20	15.632575,	74.41837
21	15.612623,	74.43214
22	15.619783,	74.44965
23	15.594322,	74.45577
24	15.581252,	74.42984
25	15.563643,	74.44669
26	15.555624,	74.45889
27	15.535541,	74.45731
28	15.520906,	74.44515
29	15.491383,	74.45461
30	15.464843,	74.45676
31	15.458723,	74.45664
32	15.453817,	74.44693
33	15.45925,	74.42852
34	15.472439,	74.40639
35	15.48274,	74.38761

उपाबंध-V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रुप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

S.O. 74(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Bhimgad Wildlife Sanctuary is spread over an area of 190.42 square kilometres in the catchment of Mahadayi River in Khanapur taluka of Belgaum district in Karnataka. It shares boundary with Dandeli Wildlife Sanctuary in Karnataka and Mhadei and Bhagwan Mahaveer Wildlife Sanctuaries in Goa. The sanctuary has been carved out of reserve forest areas with high floral and faunal diversity.

AND WHEREAS, Western Ghats, due to their unique location, play a vital role for conservation of biodiversity in the peninsula. The ecological abundance supported by them, their rich biodiversity and sensitive geomorphology add further uniqueness. Bhimgad region has extensive biodiversity and provides corridor for tiger and other wildlife with adjacent protected areas.

AND WHEREAS, the area of Bhimgad Wildlife Sanctuary is in the core zone of Western Ghats comprising of semi evergreen and evergreen dense forests with steep slopes. The region is having rich floral and faunal diversity. This region is having lot of wildlife significance. It is habitat for endangered and endemic wroughton's free tailed bats (*Otomopswroughtoni*) and Theobald's tomb bats (*Taphozustheobaldi*). Barapede caves are known to be the only roosting and breeding place for wroughton's free tailed bats. The forests with beautiful mosaic of woodlands and grass lands are the habitat for Tigers, Leopards, Indian Gaur (Bisons), Sloth Bear, Sambar, Barking deer, Chital, Wild dogs, King Cobra and a variety of other mammals and reptiles.

AND WHEREAS, this area of Bhimgad Wildlife Sanctuary is the place of origin and Catchment basin for many important rivers like Mahadayi, Malaprabha, Pandri, Markandeya, Tillari, Bailnadi and other rivers apart from number of streams. The area encompasses several geomorphological lime stone formations with lot of caves, which support wide fauna and flora endemic to this location. Apart from above, the sanctuary covers historical Bhimgad fort ruins, which needs to be protected.

AND WHEREAS, Bhimgad Wild Life Sanctuary is a rich reservoir of medicinal plants. One such area in semi evergreen forests of Amagoan has been identified for Medicinal Plants conservation area (MPCA) during 2010-11. Out of the recorded species, about 82% of the plants are found to be of medicinal value. Around 47% of the recorded plant species are trees, followed by shrubs (28%) and herbs (18%). The area is also home to several endemic plant species such as *Ancistrocladusheyneanus, Diospyrospaniculata, Euonymus indicus, Myristicaarborea,* etc., several among the recorded medicinal plants such as *Aristolochiatagala, Diospyrosmontana, Emblicaofficinalis, Garciniaindica, Nothapodytesnimmoniana* etc., are with high medicinal and economic value.

AND WHEREAS, the Bhimgad Wildlife Sanctuary has a very good population of avifauna which includes Great Indian hornbills and variety of Drongos, Wagtails, wood peckers, Kingfishers, Eagles, egrets, Sunbirds, owls and doves. Grey Jungle fowl, Jungle myna, crow pheasants, paradise fly catcher, Malabar drongo etc., are also commonly seen in the region.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundary of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Bhimgad Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 4.83 kilometres around the boundary of Bhimgad Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Bhimgad Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 308.22 square kilometers with an extent up to 4.83 kilometres around the boundary of Bhimgad Wildlife Sanctuary and the boundary description of which is given in **Annexure I**.

(2) The list of 14 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

(4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary boundary are appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the official gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in the manner as specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, including:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Karnataka State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation;

(x) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restrictions on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restorations of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities;

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17, 23, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) establishment of hotels and resorts to the extent specified in column (3) thereof viz; eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or any other law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, referred to in para 5 herein once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas;

(2) **Natural springs.-** the catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas;

(3) **Tourism.-** (a) the activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government;

(c) the activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Bhimgad Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities;

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area and till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of the hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee;

(4) **Natural heritage.-** all sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides and cliffs shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan;

(5) **Man-made heritage sites.-** buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan;

(6) **Noise pollution.-** the Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder;

(7) **Air pollution.-** the Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder;

(8) **Discharge of effluents.-** the discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder;

(9) **Solid wastes. -** disposal of solid wastes shall be as under:- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time;

(11) **Vehicular traffic**. - the vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder;

(12) **Industrial Units.-** (a) no establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law;

(b) no establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption; (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
Regulated activities		
10.	Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities; Provided that, beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any; Provided also that beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.

13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling; (ii) for any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground; (iii) for any transmission line more than 11KV the "sag" point between the two towers should be at safe distance from the ground.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.

24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of agriculture systems	Regulated under applicable laws.
27.	Railways, rope ways, underground pipelines and canal etc.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka, which shall comprise of the following namely:-

(i) Regional Commissioner, Mysore –Chairman;

(ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Khanapur Constituency, Belagaavi District – Member;

(iii) representative of the Department of Environment, Government of Karnataka –Member;

(iv) representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka –Member;

(v) an expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year -Member;

(vi) a representative of Non Government Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year -Member;

(vii) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore -Member;

(viii) Deputy Commissioner or his representative, Belagaavi –Member;

(ix) the Deputy Conservator of Forests, Belagaavi Division, Belagaavi Division- Member Secretary.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/158/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

North: The boundary of eco-sensitive zone starts at N 15.67703 E 74.18881on Parwad village and runs on north-east direction till it reaches the canal at the GPS point N 15.681171 E 74.191998 and further the line runs along the canal through the GPS point N 15.687318 E 74.199862 and further continues along the canal till it reaches the common point on the Parwad & Kanakumbi villages with GPS point N 15.692648 E 74.21248. Then the line runs eastwards along the Sy. Nos. 14, 12 till it reaches the bi-junction point of Sy. Nos. 12 & 10 the GPS points.Further, the lines eastwards along Sy. Nos. 40, 39 till it reaches the bi-junction point of Sy. Nos. 41 & 42 and further continues along the Sy. No. 48 till it reaches the malaprabha river and further till it reaches the GPS point N 15.694304, E 74.245476. Then the line runs in southward direction along the Kanakumbi village boundary till it reaches the GPS point N 15.674364, E 74.240066. Then the boundary line runs in eastward direction along the Chikale village boundary through the GPS points N 15.672221, E 74.250709 and N 15.677895, E 74.271462 till it reaches the common point on the Chikale & Gavase villages. Then the line continues along the Gavase village boundary through the GPS point N 15.682663, E 74.296043 till it reaches the common point on the Gavase & Chapoli villages with GPS point N 15.682164, E 74.316139. Further, the boundary runs along the Chapoli village boundary through the GPS points N 15.674062, E 74.347031 and N 15.669905, E 74.364281 and then the line runs along the village boundary till it reaches the point on the Chapoli village with GPS point N 15.665523, E 74.367722.

East: From the above point the line runs southwards along the Chapoli village boundary through the GPS point N 15.647439, E 74.365517 till it reaches the common point of the Chapoli & Kabanalli villages with GPS point N 15.640018, E 74.366974. Then the lines runs along the

northern boundary of the Kabanalli village through the GPS points N 15.642164, E 74.384491, N 15.645081, E 74.392128, N 15.6383, E 74.406151 & N 15.632575, E 74.418365 till it reaches the common point on Kabanalli & Nerse villages. Then the boundary line runs along the northern, eastern & southern boundary of Nerse village through the GPS points N 15.612623, E 74.432144, N 15.619783, E 74.449646 & N 15.594322, E 74.455765 till it reaches the common point of the Nerse & Shiroli villages with GPS point N 15.581252, E 74.42984. Then the line continues along the eastern part of the Shiroli village boundary till it reaches the common point of the Shiroli & Dongargaon villages with GPS point N 15.563643, E 74.446693. Further, the boundary line runs along the eastern boundary of Dongargaon village through the GPS points N15.555624, E 74.458893, N 15.535541, E 74.457306 & N 15.520906, E 74.445152 till it reaches common point on the Dongargaon & Warkadpate villages. From this point the line runs along the eastern & southern boundary of the Warkadpate village through the GPS points N 15.491383, E 74.454605, N 15.464843, E 74.456757, N 15.458723, E 74.456642.

South: Form the above point the boundary runs through the GPS points N 15.453817, E 74.446925, N 15.45925, E 74.428524, N 15.472439, E 74.406394& N 15.48274, E 74.387611 till it reaches the Bhimgad Wildlife Sanctuary boundary.

West: From the above point the boundary runs through the common boundary of the Bhimgad Wildlife Sanctuary and the Dandeli Wildlife Sanctuary till it reaches the Interstate state boundary of the Goa and Karnataka states. Then runs all along the Interstate boundary till it reaches the starting point.

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

Map ID	Name of the Village	Taluk	Latitude	Longitude	Area in Ha.	Remarks
1	Parwad	Khanapur	15.676273	74.211537	1415.21	Partial village
2	Kankumbi	Khanapur	15.689122	74.231167	997.04	Partial village
3	Chikale	Khanapur	15.664852	74.260792	2275	Entire village
4	Gavase	Khanapur	15.664138	74.298982	1038.69	Entire village
5	Chapoli	Khanapur	15.664852	74.331105	2984.75	Entire village
6	Amgaon	Khanapur	15.646649	74.306477	11.44	Partial village
7	Gawali	Khanapur	15.620133	74.335207	222.69	Partial village
8	Pastoli	Khanapur	15.615685	74.365039	49.66	Partial village
9	Kabanalli	Khanapur	15.63073	74.381823	1632.54	Entire village
10	Kongala	Khanapur	15.593611	74.393601	1235.93	Entire village
11	Nerse	Khanapur	15.599678	74.419656	1968.43	Entire village

12	Shiroli	Khanapur	15.564343	74.430007	929.58	Entire village
13	Dongargoan	Khanapur	15.533291	74.438216	2086.9	Entire village
14	Warkadpate	Khanapur	15.495672	74.430364	2910.97	Entire village
			Total		19758.83	

The land use pattern in these villages are mainly Human and Cattle dwelling units, Schools, Health Centre, Roads, Areable lands mainly under Agricultural and Horticultural crops.

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES AND GPS CORRDINATES

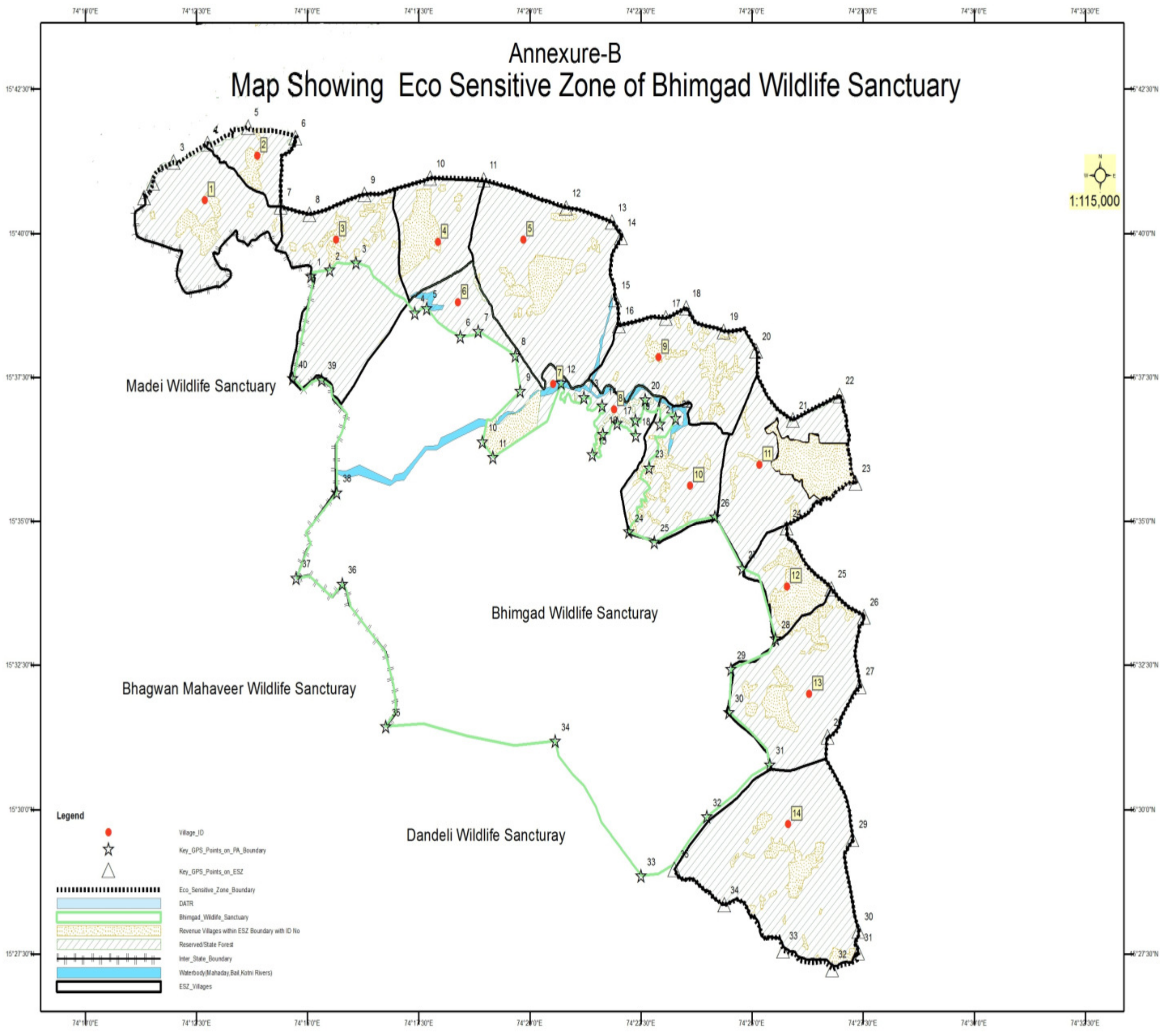

Annexure-IV

Key Locations (Global Positioning System) on Bhimgad Wildlife Sanctuary boundary

Sl. No.	Latitude (Decimal Degree)	Longitude (Decimal Degree)
1	15.654311,	74.25131
2	15.656105,	74.25837
3	15.658205,	74.26827
4	15.643705,	74.29027
5	15.645012,	74.29479
6	15.636831,	74.30734
7	15.638376,	74.31414
8	15.631319,	74.32802
9	15.621049,	74.32989
10	15.606377,	74.31563
11	15.601858,	74.31968
12	15.623389,	74.34517
13	15.619234,	74.35382
14	15.616902,	74.36056
15	15.602615,	74.35687
16	15.60855,	74.36086
17	15.611786,	74.36624
18	15.608126,	74.37324
19	15.612578,	74.37311
20	15.618555,	74.3768
21	15.611505,	74.38227
22	15.613205,	74.38817
23	15.598805,	74.37827
24	15.580141,	74.37055
25	15.577219,	74.3802
26	15.584605,	74.40287
27	15.569505,	74.41317
28	15.549305,	74.42567
29	15.540505,	74.40897
30	15.528005,	74.40817
31	15.512968,	74.4236
32	15.497921,	74.39986
33	15.480846,	74.37525
34	15.51973,	74.34297
35	15.523913,	74.27941
36	15.565089,	74.26307
37	15.566814,	74.24574
38	15.591687,	74.261
39	15.624336,	74.25539
40	15.624698,	74.24448

Key Locations (Global Positioning System) on Eco Sensitive Zone boundary

Sl. No.	Latitude (Decimal Degree)	Longitude (Decimal Degree)
1	15.67703	74.18881
2	15.681171,	74.192
3	15.687318,	74.19986
4	15.692648,	74.21248
5	15.697408,	74.22777
6	15.694304,	74.24548
7	15.674364,	74.24007
8	15.672221,	74.25071
9	15.677895,	74.27146
10	15.682663,	74.29604
11	15.682164,	74.31614
12	15.674062,	74.34703
13	15.669905,	74.36428
14	15.665523,	74.36772
15	15.647439,	74.36552
16	15.640018,	74.36697
17	15.642164,	74.38449
18	15.645081,	74.39213
19	15.6383,	74.40615
20	15.632575,	74.41837
21	15.612623,	74.43214
22	15.619783,	74.44965
23	15.594322,	74.45577
24	15.581252,	74.42984
25	15.563643,	74.44669
26	15.555624,	74.45889
27	15.535541,	74.45731
28	15.520906,	74.44515
29	15.491383,	74.45461
30	15.464843,	74.45676
31	15.458723,	74.45664
32	15.453817,	74.44693
33	15.45925,	74.42852
34	15.472439,	74.40639
35	15.48274,	74.38761

Annexure V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.